डिगरी व मुकदमें ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)

सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही

बईजलास हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं58 / 2017

वादी

गोमा पुत्र पदमाजी घांची
आयु 62 वर्ष पेशा कृषि कार्य नि.सिन्दरथ
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण

1— वागाराम पुत्र भूताजी
2— शान्तिलाल पुत्र भूताजी
3— प्रकाश पुत्र भूताजी
4— रेखा पुत्री भूताजी पत्नि देवाराम
5— कुकी पत्नि भूताजी
6— चोपा पुत्र पदमाजी
7— वसना पुत्र होकाजी
8— छगन पुत्र होकाजी
9— पोसी धर्मपत्नि होकाजी
सभी आयु व्यस्क जातियान घांची निवासीयान सिन्दरथ तहसील व सिरोही
10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

धारा 53/188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद सं58 / 2017

यह मुकदमा आज रूबरू सहायक कलेक्टर एस.डी.ओ सिरोही उपस्थित तथा वादी की ओर से वकील श्री नारायणलाल कुम्हार तथा प्रतिवादीगण संख्या 10 की ओर से वकील श्री तहसीलदार/सिरोही उपस्थित हुये । तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के विरूद्व पूर्व मे ही न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के आदेश पारित हुये है। कृषि आराजी संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से भविष्य मे वादग्रसत कृषि आराजी के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त/फसल बोने/सिंचाई हेतु पानी को लेकर पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का विवाद नही हो इस कारण वादग्रस्त कृषि भूमि का वर्तमान जमाबंदी मे पक्षकारान के दर्ज हक हिस्से व मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति यथावत/रास्ते व सुखाचारों को ध्यान मे रखते हुये वादग्रस्त कृषि भूमि के विभाजन करने की प्राथमिक डिक्री जारी करना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर वादी का यह वाद अ.धारा 53/188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार/सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा सिन्दरथ पटवार हल्का धान्ता तहसील सिरोही मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 326 खसरा नंबर 953/958/959/960/963/964/966/967/कुल किता 8 कुल क्षैत्रफल 4.6700 हैक्टेयर के वर्तमान जमाबंदी मे खातादारान के दर्ज हक हिस्से/कब्जे काश्त/मौके एवं रिकार्ड के आधार पर /रास्ते व सुखाचारों को ध्यान मे रखते हुये मिटस एण्ड बाउण्ड के आधार पर बंटवाड कर खातेदारान के हक हिस्से अनुसार कुऐ से पानी लेने की ढींची (टर्न) तय करते हुये दौराने बंटवाड मौके पर पक्षकारान को सूचित करते हुये उक्तानुसार बंटवाड प्रस्ताव तैयार कर एक माह मे इस न्यायालय मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें ।

आज दिनांक 25—6—2019 को यह प्राथमिक डिक्री बदस्तखत मेरे पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी की गई ।

मुदाई	रू.	पै.	मुद्दायलाह	रू.	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमिश्नर		
मुतफरीक			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मौजान			मौजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज.)

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही
उपखण्ड अधिकारी सिरोही (राज.) 307001